केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सांविधिक निकाय)
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)

सत्यमेव जयते

CARA

सं./No. E 96181/CARA-EA043/9/2021

Azadi Ka Amrit Mahotsav

दिनांक/Date 28-05-2024

कार्यालय ज्ञापन
OFFICE MEMORANDUM

यह दिनांक 18.04.2024 के कार्यालय ज्ञापन के क्रम में है । केयरिंग्स (CARINGS) पोर्टल पर एक नई रिपोर्ट बनाई गई है जिसका नाम है "Category-wise (Orphan, Abandoned, Surrendered, No Visitation, Unfit Guardians & Other) Children Report"। इसमें अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित, नो विज़िटेशन ,अनफ़िट गार्डियन और अन्य श्रेणी के बच्चों की संख्या व सूचना दी गई है । इस नई रिपोर्ट में वर्तमान में जो बच्चे उपलब्ध हैं, वे 'In-home Children' के अंतर्गत दिखाई दे रहे हैं जो विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (SAA) और जिला बाल संरक्षण इकाइयों (DCPU) द्वारा पंजीकृत किए गए हैं ।

This is in continuation of Office Memorandum of even number dated 18.04.2024. The new children's report has been developed on CARINGS portal namely "*Category-wise (Orphan, Abandoned, Surrendered, No Visitation, Unfit Guardians & Other) Children Report*". The as on date data of children in this new report is shown under *'In-home Children'* who were registered by Specialised Adoption Agencies (SAAs) and District Child Protection Units (DCPUs).

2) जहां तक **'In-home Children'** का संबंध है, तो केयरिंग्स (CARINGS) पोर्टल पर अपेक्षित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है ताकि इन बच्चों के आँकड़ों व सूचनाओं को संशोधित (data cleansing) किया जा सके, उनकी श्रेणी में बदलाव किया जा सके और उनके दत्तक-ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त (LFA) होने की स्थिति पता लगाई जा सके। इस संबंध में, जिला और राज्य स्तर पर अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है ।

As far as ***'In-home Children'*** are concerned, they are required to be processed further on CARINGS mainly for data cleansing, change of category and for determining their legal free (LFA) status. In this regard, the following actions are required to be taken by district authorities and state authorities :

(a) **बच्चों के आँकड़ों व सूचनाओं में संशोधन (Data Cleansing) :** 'In-home Children' की रिपोर्ट में प्रत्येक बच्चे की प्रोफ़ाइल की जाँच एवं सत्यापन नवीनतम दस्तावेजों के अनुसार किया जाए और उसकी सही स्थिति का पता लगाया जाए। कुछ बच्चों की वास्तविक स्थिति ऐसी हो सकती है जिनके बारे में केयरिंग्स (CARINGS) पोर्टल पर सुधार करना जरूरी है। इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है:

Data cleansing of children : Each & every profile of child in the report of 'In-home Children' should be checked and verified with latest documents and their correct status is to be ascertained. Some children may be found in such status that necessitates their cleansing on CARINGS in accordance with the procedure given below:

क्र. सं. Sr. No.	बच्चों की संभावित स्थिति Tentative status of children	SAA द्वारा पंजीकृत बच्चे Children registered by SAA	DCPU द्वारा CCI के पंजीकृत बच्चे CCI children registered by DCPU	संशोधन हेतु अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज Document to be uploaded for cleansing
1.	किसी बच्चे के दो या अधिक पंजीकरण Double or multiple registration of child	बच्चे का विवरण (नाम जन्म तिथि, लड़की/लड़का/अन्य) तथा उसकी पंजीकरण संख्याएँ CARA को भेजें. साथ ही यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि कौन-सी पंजीकरण संख्या को रखना है और किसे हटाना है । Details of child (Name, DoB, Gender) along with registration numbers of child should be sent to CARA with specifically mentioning which registration number to be retained and which is to be removed.		-

Contd...2/-

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली–110066 (भारत)
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
टोलफ्री / Tollfree : 1800-11-1311, 011-26760471, 26760472,26760473
ई–मेल / E-mail : carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website : cara.wcd.gov.in

2.	जिस बच्चे का दत्तक-ग्रहण पहले ही हो चुका हो Already adopted	दत्तक-ग्रहण आदेश आवश्यक कार्रवाई के लिए <u>CARA</u> को भेजें Adoption Order should be sent to <u>CARA</u> for necessary action		दत्तक-ग्रहण आदेश Adoption Order
3.	किसी अन्य SAA/CCI में स्थानांतरण Transfer to another SAA/CCI	<u>SAA level</u> SAA Portal → Child Registration → Children Transfer / Restore Details → Transfer to other Agency SAA Portal → Child Registration → Children Transfer / Restore Details → Transfer to CCI <u>DCPU level : for verification</u> DCPU Portal → Approve Children Details → Verify Children <u>SARA level : for approval</u> SARA Portal → Approve Children Details → Verify Children	<u>DCPU Level</u> DCPU Portal →CCI Information → Children Transfer/Restore/Runaway Details →Children Transfer Details →Transfer to CCI <u>SARA level : for approval</u> SARA Portal → Approve Children Details → Verify Children	राज्य/ जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश Transfer Order issued by state/district authorities.
4.	बच्चे की परिवार में वापसी Restored with family	<u>SAA level</u> SAA Portal → Children Registration → Children Transfer / Restore Details → Restore <u>DCPU level : for verification</u> DCPU Portal → Approve Children Details → Verify Children <u>SARA level : for approval</u> SARA Portal → Approve Children Details → Verify Children	<u>DCPU Level</u> DCPU Portal →CCI Information →Children Transfer/Restore/Runaway Details →Children Transfer Details →Restore. <u>SARA level : for approval</u> SARA Portal → Approve Children Details → Verify Children	बच्चे की परिवार में वापसी के संबंध में CWC द्वारा जारी आदेश Restoration Order issued by CWC
5.	Run away	<u>SAA level</u> SAA Portal → Child Registration → Children Transfer / Restore Details → Runaway <u>DCPU level : for verification</u> DCPU Portal → Approve Children Details → Verify Children <u>SARA level : for approval</u> SARA Portal → Approve Children Details → Verify Children	<u>DCPU Level</u> DCPU Portal →CCI Information →Children Transfer/Restore/Runaway Details →Children Transfer Details →Runaway <u>SARA level : for approval</u> SARA Portal → Approve Children Details → Verify Children	पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट Police FIR
6.	मृत बच्चा Deceased	<u>SAA level</u> SAA Portal → Child Registration → Health Detail → Deceased <u>DCPU level : for verification</u> DCPU Portal → Approve Children Details → Verify Children <u>SARA level : for approval</u> SARA Portal → Approve Children Details → Verify Children	<u>DCPU Level</u> DCPU Portal → CCI Information → Child Health/Deceased → Child Health Details→ Deceased <u>SARA level : for approval</u> SARA Portal → Approve Children Details → Verify Children	मृत्यु प्रमाण-पत्र Death Certificate

नोट: *जहाँ SAA वास्तव में बंद हो चुकी है लेकिन केयरिंग्स (CARINGS) पोर्टल पर सक्रिय है, ऐसे मामलों में राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) के पास कार्य करने के लिए केयरिंग्स (CARINGS) पोर्टल पर Admin Functionality है, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है :*

Note*: Admin Functionality on CARINGS is available to SARA for those cases where SAA is physically closed but active on CARINGS. Procedure at SARA level is as under :*

SARA Portal → Administrative (Data Rectification) → Transfer/ Restoration/ Deceased/ Runaway Children → Data Rectification

Contd…3/-

(b) **श्रेणी अपडेट करें या बदलें :** अभी जो बच्चे '**अन्य**/other' श्रेणी के अंतर्गत हैं, उनका आकलन संबंधित बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा किया जाए ताकि बच्चे की सही स्थिति निर्धारित की जा सके। तदनुसार, बच्चों को '**अन्य**/other' श्रेणी से अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित, नो विज़िटेशन,अनफ़िट गार्डियन की 5 श्रेणियों में से किसी एक में स्थानांतरित किया जा सकता है। बच्चे की श्रेणी बदलने की प्रक्रिया नीचे दी गई है :

Category updation : The children shown in 'other' category should be assessed by concerned Child Welfare Committee (CWC) in order to determine the exact status of the child. Accordingly, children may be shifted from 'other' category to any one of the 5 categories of Orphan, Abandoned, Surrendered, No Visitation, Unfit Guardians. The procedure to change the category of child is given below :

<u>DCPU द्वारा पंजीकृत बच्चों के लिए प्रक्रिया</u> :

<u>Procedure for children registered by DCPU</u> :
DCPU Portal → Child Care Institution (CCI) Information → Registered Children Details → Details of Registered CCI Children update details

<u>SAA द्वारा पंजीकृत बच्चों के लिए प्रक्रिया</u> :

<u>Procedure for children registered by SAA</u> :
SAA Portal → Child Registration → Children Updation Details → Children Updation Details (update)

(c) **दत्तक-ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त (LFA) होने की स्थिति :** आँकड़ों व सूचनाओं के संशोधन (data cleansing) और श्रेणी में बदलाव के अलावा, अनाथ-परित्यक्त-अभ्यर्पित (OAS) श्रेणी के 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का संबंधित बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा दत्तक-ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त (LFA) करने हेतु आकलन किया जाए। यह कार्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित 2021), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 (यथा संशोधित 2022) और दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 के प्रावधानों और समय-सीमा के अनुसार किया जाए।

Legal free for Adoption (LFA) status : Apart from data cleansing and change of category, the cases of all children less than 18 years of age in Orphan, Abandoned, Surrendered (OAS) category should be processed and assessed for their 'Legal free for Adoption (LFA)' status by the concerned Child Welfare Committee (CWC) as per procedure and timeline mentioned in JJ Act 2015 (as amended in 2021), JJ Model Rules 2016 (as amended in 2022) and Adoption Regulations 2022.

संबंधित बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा ऐसे बच्चों के विधिक रूप से मुक्त (LFA) होने की स्थिति का पता लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। यह कार्य विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा अपने पंजीकृत बच्चों के लिए तथा जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा CCI के पंजीकृत बच्चों के लिए किया जाएगा। CARINGS पर बच्चों के विधिक रूप से मुक्त (LFA) होने की प्रक्रिया भी क्रमशः SAA एवं DCPU द्वारा पूर्ण की जाएगी [कृपया दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 30(1)(d), 38(11), 61(5)(6) देखें]. **अनाथ-परित्यक्त-अभ्यर्पित (OAS) बच्चों के प्रोटोकॉल संदर्भ के लिए संलग्न हैं।**

The LFA status to be determined expeditiously by the concerned Child Welfare Committee (CWC) assisted by the Specialized Adoption Agencies (for children registered by SAA) and District Child Protection Unit (for CCI children registered by DCPU). The LFA process on CARINGS is required to be accomplished by SAA and DCPU respectively [Kindly refer regulations 30(1)(d), 38(11), 61(5)(6) of Adoption Regulations 2022]. **Protocols for OAS children are annexed for reference.**

विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) और जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) (for CCI children) CARINGS पोर्टल पर बच्चों की प्रोफाइल अपलोड करें। इसके साथ ये भी अपलोड करें : (1) बच्चे की फोटो, (2) बाल अध्ययन रिपोर्ट (CSR) [अनुसूची-II], (3) चिकित्सा जाँच रिपोर्ट (MER) [अनुसूची-III] और (4) दत्तक-ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त (LFA) घोषित करने का प्रमाण-पत्र [अनुसूची-I], जो बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा जारी किया गया हो। यह कार्य दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 में दी गई समय-सीमा के अनुसार किया जाए। उपर्युक्त दस्तावेजों को अपलोड करने की प्रक्रिया इस प्रकार है :

Contd…4/-

SAA and DCPU (for CCI children) shall upload the profile of child on CARINGS portal, which includes (1) photograph, (2) Child Study Report (CSR) [Schedule-II], (3) Medical Examination Report (MER) [Schedule-III] and (4) certificate from Child Welfare Committee (CWC) declaring the child Legally Free for Adoption (LFA) [Schedule-I] as per the timeline given in Adoption Regulations 2022. Procedure for uploading above documents is as under :

SAA के स्तर पर / SAA level :

(i) CSR and MER
SAA Portal →Child Registration → Child MER & CSR → MER Part A (Click) → Save and Proceed to Part (B +C+D)

(ii) Apply to CWC: SAA Portal →Child Registration →Apply to CWC

(iii) CWC Clearance :
SAA Portal → Child Registration →CWC clearance

DCPU के स्तर पर / DCPU level :

(i) CSR and MER
DCPU Portal → Child Care Institution (CCI) Information → Child Health/ Deceased → Update→ Save and Proceed to Part (B +C+D)

(ii) Apply to CWC
DCPU Portal → Child Care Institution (CCI) Information → Apply to CWC

(iii) CWC Clearance
DCPU Portal → Child Care Institution (CCI) Information → CWC Clearance

3) **कृपया यह सुनिश्चित करें कि जो बच्चा CARINGS पोर्टल पर पहले से पंजीकृत है, उसका दोबारा पंजीकरण न किया जाए ।**

Please ensure that a child, who is already registered on CARINGS Portal, should not be registered again.

4) राज्य के प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निदेशों का, विशेष रूप से विधिक रूप से मुक्त (LFA) किए जाने के निदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। CARA को हर 15 दिनों में 'कार्रवाई रिपोर्ट (ATR)' भेजी जाए । यदि CARINGS पोर्टल पर डेटा क्लींजिंग और श्रेणी अपडेट/ बदलाव की प्रक्रिया के दौरान कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे CARA के संज्ञान में लाएँ तथा स्क्रीनशॉट के साथ ई-मेल carahdesk.wcd@nic.in पर भेजें।

The state authorities are requested to ensure strict compliance with above directions particularly for LFA status of OAS children. CARA should be apprised with 'Action Taken Report (ATR)' every 15 days. If any technical issue arises during the process of data cleansing and change of category on CARINGS portal, the same may be brought into the notice of CARA through email with screen shot to carahdesk.wcd@nic.in.

इसे अति आवश्यक समझा जाए और सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
This may be treated as Most Urgent and Top Priority.

(डॉ.जगन्नाथ पति)
(Dr. Jagannath Pati)
निदेशक (कार्यक्रम)
Director (Programme)

डॉ. जगन्नाथ पति / Dr. Jagannath Pati
निदेशक (कार्यक्रम), CARA / Director (Programme)
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

संलग्न: ऊपर वर्णित
Encl. :As above

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सभी नोडल अधिकारी/ All Nodal Officers at State/UT level
2. राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण/ State Adoption Resource Agencies (SARAs)
3. बाल कल्याण समिति / Child Welfare Committees (CWCs)
3. जिला बाल संरक्षण इकाई/ District Child Protection Units (DCPUs)
4. विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण/ Specialised Adoption Agencies (SAAs)
5. बाल देखरेख संस्था/Child Care Institutions (CCIs)

बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा बच्चे को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त (LFA) करना

अनाथ/परित्यक्त बच्चा

(Orphan / Abandoned Child)

(धारा 31, 32, 36 और 38; नियम 19 और विनियम 6)

"अनाथ" (Orphan) से ऐसा बच्चा अभिप्रेत है – (i) जिसके जैविक या दत्तक माता–पिता या विधिक संरक्षक नहीं है; या (ii) जिसके विधिक संरक्षक उसकी देखरेख करने के इच्छुक नहीं हैं, या देखरेख करने में सक्षम नहीं है [धारा 2 (42)]

"परित्यक्त" (Abandoned) बालक से ऐसा बच्चा अभिप्रेत है जिसे उसके जैविक या दत्तक माता–पिता या संरक्षक द्वारा छोड़ दिया गया है तथा उचित जांच के बाद समिति द्वारा उसे परित्यक्त घोषित किया गया है। [धारा 2 (1)]

01 जिस बच्चे को देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता (CNCP) है, उसे धारा 31(1) में उल्लिखित अधिकारियों/ पदाधिकारियों/ व्यक्तियों द्वारा 24 घंटों के भीतर बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। (फार्म 17)। इसके अतिरिक्त, इसी रिपोर्ट की प्रतिलिपि 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस थाने में प्रस्तुत किया जाना।

02 बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा विशिष्ट दत्तक–ग्रहण अभिकरण (SAA) या बाल देखरेख संस्था (CCI) को अंतरिम देखरेख/अल्पकालिक व्यवस्था (प्लेसमेंट) का आदेश जारी करना (फॉर्म 18)।

03 बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा 15 दिनों के भीतर सामाजिक जाँच रिपोर्ट (SIR) तैयार और जमा करने का कार्य एक सामाजिक कार्यकर्ता/ केस वर्कर/ बाल कल्याण अधिकारी को सौंपना (फॉर्म 22)।

04 बालक का विवरण 3 दिनों के भीतर विशिष्ट दत्तक–ग्रहण अभिकरण (SAA)/ जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर अपलोड किया जाना ।

05 जैविक माता–पिता/ विधिक संरक्षकों का पता लगाना :–

क) बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को 3 दिनों के भीतर उस स्थान के राष्ट्रीय समाचार पत्र में बच्चे के विवरण/ तस्वीरों को प्रकाशित करने का निर्देश देना, जहां से बच्चा पाया गया था। यदि बच्चा किसी अन्य राज्य से है, तो प्रकाशन बच्चे के ज्ञात मूल स्थान में वहाँ की स्थानीय भाषा में किया जाएगा। इसके साथ ही विवरण को "ट्रैक चाइल्ड या खोया पाया पोर्टल" पर अपलोड किया जाएगा।

ख) जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा बच्चे को प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर बाल कल्याण समिति (CWC) को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

ग) बच्चे को प्रस्तुत करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर बाल देखरेख संस्था (CCI)/ विशिष्ट दत्तक–ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिसमें अंतरिम देखरेख के दौरान बालक द्वारा साझा की गई जानकारी के साथ–साथ उन व्यक्तियों का विवरण भी शामिल होगा जिन्होंने बच्चे को लेने के लिए संपर्क किया था। (बड़े बच्चे के मामले में, यदि बच्चा कोई जानकारी साझा करता है तो उस स्थान पर स्पॉट विजिट किया जाना)

घ) यदि जैविक माता–पिता का पता लगाने की रिपोर्ट निम्नलिखित अवधि में पुलिस से प्राप्त नहीं होती है तो 'माता–पिता को पता न लगने योग्य' समझा जाएगा :
(i) बच्चा 0 –2 वर्ष = 2 महीने (ii) 2 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा = 4 महीने

06 बिंदु 5 (घ) में उल्लिखित निर्धारित समय–सीमा की समाप्ति के बाद 3 दिनों के भीतर बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा बच्चे को दत्तक–ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करना। (अनुसूची 1)

07 सहोदर /जुड़वाँ बच्चों के सम्बन्ध में बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा एक ही आदेश जारी किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चे से संबंधित जाँच की प्रक्रिया में किसी जैविक माता–पिता के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज नहीं की जाएगी– [धारा 38 (1)]

अभिहित पोर्टलः बाल दत्तक–ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)
Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

'धारा' का संबंध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 (यथासंशोधित 2021) से है।
'नियम' का संबंध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 (यथासंशोधित 2022) से है।
'विनियम' का संबंध दत्तक–ग्रहण विनियम, 2022 से है।

CHILD LEGALLY FREE FOR ADOPTION (LFA) BY CWC

ORPHAN/ ABANDONED CHILD

(Section 31, 32, 36 & 38 ; Rule 19 and Regulation 6)

"Orphan" means a child— (i) who is without biological or adoptive parents or legal guardian ; or (ii) whose legal guardian is not willing to take, or capable of taking care of the child [Section 2 (42)]

"Abandoned Child" means a child deserted by his biological or adoptive parents or guardians, who has been declared as abandoned by the Committee after due inquiry [Section 2 (1)]

01 Production of child in need to care and protection (CNCP) before CWC within 24 hrs. by officials / officer bearers /individuals mentioned in Section 31 (1) [Form 17]. Additionally, copy of the report to be submitted before local police station within 24 hrs.

02 Interim care/short term placement order by CWC either to a SAA or a CCI [Form 18]

03 CWC to assign a Social Worker/Case Worker/Child Welfare Officer to conduct and submit the Social Investigation Report within 15 days (Form 22)

04 Details of the child to be uploaded on the Designated Portal by SAA /DCPU within 3 Days.

05 Tracing out the biological parents/legal guardians

a) CWC to direct DCPU to advertise the particulars/photographs of the child in national newspaper where the child was found within 3 days. In case child is from another State, the publication shall be done in the known place of origin of the child in local language. Simultaneously, the data to be uploaded on Track Child or Khoya Paya portal.

b) DCPU to submit a report to CWC within 30 days from the date of production of the child.

c) CCI/SAA to submit report to CWC within 30 days from the date of production comprising of information shared by the child during the interim care along with details of persons who approached to claim the child. (In case of older child, spot visit to be done to the place, if child shares any details)

d) Non-receipt of report from the local police regarding the traceability of biological parents as per the specifications given below shall be deemed non-traceable:
i. Child 0 -2 years= 2 months ii. Child above 2 years = 4 months

06 Declaring the child legally free for adoption (Schedule I) by CWC within 3 days after the expiration of stipulated timeline referred in point 5 (d)

07 Single order to be passed by CWC in case of siblings/twins.

❖ ❖ ❖

It may be noted that no First Information Report (FIR) shall be registered against any biological parent in the process of inquiry related to abandoned or surrendered child. [Section 38 (1)]

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

CWC: Child Welfare Committee | SAA: Specialised Adoption Agency | DCPU: District Child Protection Unit
CCI: Child Care Institution | CWC: Child Welfare Committee

'Sections' related to Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (amended in 2021);
'Rules' related to Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 (amended in 2022);
'Regulations' related to Adoption Regulations 2022

बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा बच्चे को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त (LFA) करना

अभ्यर्पित बच्चा
(Surrendered Child)
(धारा 31, 35 और 38; नियम 19 और विनियम 7 और 39)

वह बच्चा, जिसे माता–पिता अथवा संरक्षक द्वारा ऐसे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों, जो उनके नियंत्रण से परे हैं, के कारण समिति को त्याग दिया गया है तथा समिति द्वारा उस रूप में उसे ऐसा घोषित किया गया है [धारा 2 (60)]।

01 माता–पिता या संरक्षक बच्चे को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

02 माता–पिता / संरक्षकों (guardians) [धारा 12 (31) में परिभाषित संरक्षक] को परामर्श देना ताकि उन्हें बच्चे को अपने पास रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

03 बच्चे / बच्चों को प्रस्तुत किए जाने के दिन ही जैविक माता–पिता / संरक्षक (guardian) द्वारा अभ्यर्पण विलेख (Surrender deed) निष्पादित किया जाएगा (अभ्यर्पण विलेख की एक प्रतिलिपि अभ्यर्पण करने वाले माता–पिता / व्यक्ति को भी दी जाएगी) (अनुसूची V)।

- क) महिला जैविक माता / अविवाहित माता के मामले में अभ्यर्पण विलेख बाल कल्याण समिति (CWC) की किसी एक महिला सदस्य की उपस्थिति में निष्पादित किया जाएगा (यदि वे अपनी पहचान प्रकट करने के लिए इच्छुक नहीं हैं तो ऐसे बच्चे को परित्यक्त (abandoned) समझा जाएगा)। दो साक्षी अनिवार्य हैं तथा इनमें से एक साक्षी अभ्यर्पित करने वाले व्यक्ति से परिचित होना चाहिए।
- ख) विवाहित दंपती के मामले में, अभ्यर्पण विलेख पर माता और पिता, दोनों के हस्ताक्षर होंगे (दो साक्षियों में से एक साक्षी विवाहित दंपती से परिचित होना चाहिए)।
- ग) विवाहित दंपती के मामले में, यदि बच्चे का अभ्यर्पण किसी एक जैविक माता या जैविक पिता द्वारा किया जाता है तथा दूसरे माता या पिता के ठिकाने का पता नहीं है तो उस मामले को परित्यक्त बच्चे (Abandoned Child) का मामला समझा जाएगा।
- घ) बिना विवाह के जन्म लेने वाले बच्चे का अभ्यर्पण केवल माता द्वारा किया जाएगा [यदि माता अवयस्क (18 वर्ष से कम) है तो किसी अन्य वयस्क (माता–पिता / संरक्षक) का साक्षी होना आवश्यक है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो बाल देखरेख संस्था (CCI) के प्रभारी को साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करने होंगे]।
- च) यदि माता–पिता / संरक्षक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्यर्पण किया जाता है तो इसे परित्यक्त बच्चे का मामला माना जाएगा।
- छ) यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनमें से किसी एक के द्वारा अभ्यर्पण किया जाता है तो मृत्यु प्रमाण–पत्र आवश्यक है।

04 माता–पिता / संरक्षकों को पुनर्विचार के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा (अभ्यर्पण विलेख निष्पादित होने की तिथि से)।

05 पुनर्विचार अवधि समाप्त होने पर अभ्यर्पित बच्चे को दत्तक–ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाएगा (बच्चे के नवीनतम फोटो के साथ आदेश पर बाल कल्याण समिति के कम से कम 3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे) (अनुसूची–1)।

❖ ❖ ❖

नोटः अभ्यर्पण के मामले में कोई सार्वजनिक सूचना या विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

अभिहित पोर्टलः बाल दत्तक–ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)
Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

'धारा' का संबंध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 (यथासंशोधित 2021) से है।
नियम' का संबंध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 (यथासंशोधित 2022) से है।
'विनियम' का संबंध दत्तक–ग्रहण विनियम, 2022 से है।

CHILD LEGALLY FREE FOR ADOPTION (LFA) BY CWC

SURRENDERED CHILD

(Section 31, 35 & 38; Rule 19 and Regulations 7 & 39)

A child, who is relinquished by the parent or guardian to theCommittee, on account of physical, emotional and social factors beyond their control, and declared as such by the Committee [Section 2(60)]

01 **Parent or guardian to produce the child before the CWC**

Counselling of parents/guardians [guardian defined as per Section 2(31)] for encouraging them to retain the child. **02**

03 **Deed of surrender to be executed by the biological parents/guardian on the day of production of child/children (a copy of Deed to be shared with the surrendering parents/person) [Schedule V]**

a. In case of female biological parents/unwed mother- Deed of surrender may be executed in the presence of any one female member of CWC (if not willing to disclose their identity, the case to be treated as of abandoned child). Two witness are mandatory and one witness must be known to the person surrendering the child.

b. In case of married couple, the Deed to be signed by both the parents. (One witness must be known to the couple, out of two witness).

c. In case of married couple, surrender by one biological parent and whereabouts of the other parent are not known, to be treated as in case of abandoned child.

d. In case of child born out of wedlock, surrender to be executed only by the mother (in case the mother is minor (under 18 years), an adult (parent/guardian) as witness is necessary, if doesn't have any one then the CCI In-charge has to sign as witness.)

e. In case of Surrender done by a person other than parents/guardians-case to be treated as of abandoned child.

f. In case of Surrender done by a single parent in case of death of a spouse, submission of death certificate is necessary.

Reconsideration period of 2 months to be given to parents/guardians (from the date of execution of surrender deed) **04**

05 **Declaring the child as legally free for adoption on expiry of reconsideration period (the order along with latest photograph to be signed by at least 3 members of CWC) [Schedule I]**

❖ ❖ ❖

Note: No public notice or advertisement to be issued in the above case

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

CWC: Child Welfare Committee | CCI: Child Care Institution

'Sections' related to Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (amended in 2021);
'Rules' related to Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 (amended in 2022);
'Regulations' related to Adoption Regulations 2022

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
कारा हेल्पलाइन नंबर: 1800-111-311 [सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)]
CARA HelplineNo.: 1800-111-311 [Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays)]
ईमेल / E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website: https://cara.wcd.gov.in, CARINGS: https://carings.wcd.gov.in